

झारखंड-सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशांक,
१ माध्यमिक शिक्षा झारखंड, रांची ।

स्वा में,

सचिव,

सी०बी०एस०ई०नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक - 7-4-2005

बिषय:-

झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त बिषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव

संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित श्री श्री सुयदिव सिंह स्मृति गुरुकुलम, सरायडेला, धनबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अस्थायी रूप से अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

1. विद्यालय प्रबंधन एक साल के अन्दर सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करा लेगी ।
2. विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिये निर्धारित माप 60 फीट×60 फीट का एक सभा भवन एक वर्ष के अन्दर निर्माण करा जाय लेगा ।
3. झारखंड सरकार द्वारा तैयार किये गये मानक सेवा शर्त नियमावली को विद्यालय अंगीकृत करेगा एवं गुणावत्तायुक्त पठन-पाठन का कार्य सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों एवं समय-समय पर विद्यालय से संबंधित जो भी नियम/परिनिषम विद्यालय के लिये बनाये जायेंगे, उनका अंगीकार: अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा ।
4. विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के लिये आवश्यक उपकरणों एवं पुस्तकों की कमी को छः माह के अन्दर क्रय कर पूरा कर लिया जायगा ।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों के अतिरिक्त विभागीय आदेश

संख्या-1055 दिनांक-5.9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक खपत जाय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो

कृ०पृ०३०

ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उद्देश्य उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2००० एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4००० एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30०० तीसरे वर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जॉचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये ।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विधालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विद्यार्थियों में राष्ट्रियता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त धर हक संग्रोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शास्त्री निकाय के सदस्यों की कार्यवधि पूर्ण होने पर सदस्यों को सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0 एन0एस0एस0, स्काउट एवं गार्डिड आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बन्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक-5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

३०७०३०

14. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा सपॉसित कागजातों एवं अडिपियों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विधालय द्वारा राष्ट्र हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिले सामाजिक कटूता फैलाता हो तो सरकार निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बंधनों को अनुपालन किया-जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के सहाय पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं आकाशमिक अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और जांचोपरान्त अनुपत्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विभेदक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के जे. क्षेत्राधिकार के अर्ज अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायें उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

[Signature]
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, रांची

ज्ञापक- 739 / रांची, दिनांक- 7.11.2025

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उपाय निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

[Signature]
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, रांची ।

ज्ञापक- 739 / रांची, दिनांक- 7.11.2025

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

[Signature]
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, रांची